REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1013]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936
No. 1013]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2014

का.आ. 1222(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 88) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्दवारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कालम (1) के अंतर्गत रारा सं 1ए के संबंध में, क्रमश: कालम सं. (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगाः-

''श्रीनगर बाइपास	किमी 286.00 से किमी 303.80 तक"

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना का.आ. सं. 1097(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 को प्रकाशित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14013/16/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडएम)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2014

S.O. 1222(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1097(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Table to the said notification, against National Highway number 1A under Column (1), the following entries under columns number (2) and (3) respectively shall be omitted:-

"Srinagar Bypass	From Km. 286.00 to Km. 303.80."

[F. No. NH-14013/16/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note: - The principal notification was published vide number S.O 1097(E), dated the 4th August, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई , 2014

का.आ. 1223(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेष देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस षर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देष्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संघोधन करती है, अर्थातु :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 31 के लिए अनुसूची में और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

तालिका				
(1)	(2)	(3)		
"31	नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 ए) किमी 0.00 से 286.000 तक तथा किमी 303.800 से किमी 534.250 तक छोडकर) और रारा सं. 301 का भाग जो जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है ।			

[फा.सं. एनएच-14013/16/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडएम)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना को संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार इसमें संशाोधन संख्या का.आ. 1044(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2014

S.O. 1223(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
" 31	So much of new National Highway No. 1A (excluding from km.0.00 to 286.000 and from km. 303.800 to 534.250) and NH No. 301 as is situated within the State of Jammu and Kashmir.	State Government of Jammu and Kashmir".

[F. No. NH-14013/16/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note: - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1044 (E), dated the 7th April, 2014.